

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क.प्रशा./गो.क./का.आ./42

दिनांक: 22.01.2015

कार्यालय आदेश

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (ग) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का गठन ।

कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क. प्रशा./गो.क./49, दिनांक 07.11.2013 द्वारा गठित समिति के सदस्य श्री अपूर्व बैनर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (अब सेवानिवृत्त) के स्थान पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, महोदय के आदेश दिनांक 20.01.2015 द्वारा उक्त समिति में श्री डी.एल. झारिया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी को नामित किया गया है। तदनुसार उक्त समिति इस प्रकार होगी :-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | सुश्री सुमेधा अमर. उप महालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) | अध्यक्षा |
| 2. | श्री जे. डी. जैन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 3. | श्रीमती शिखा पटेरिया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 4. | श्री डी.एल. झारिया, वरिष्ठ लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 5. | श्रीमती मंजुला आर. कृष्णन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी | |
| | कार्या. प्र. म. ले. (सा. एवं सा. क्षेत्र लेखा परीक्षा) ग्वालियर | सदस्य |

हस्ता /—
उप महालेखाकार (प्रशासन)